रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 25, 1991/ज्येष्ठ 4, 1913
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 25, 1991/JYAISTHA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1991

सा. का. नि. 316.—संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते है :—

कि बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कोच्चुपिल्लै सुकुमारन, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा की अवधि के लिए अपने वेतन के अतिरिक्त 800 रुपये (केवल आठ सौ रुपये) प्रति माह की दर पर प्रतिपूरक भत्ता पाने के पात्र होंगे ।

[सं. के. 13014/14/90—डैस्क 1]

श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 12th April, 1991

G.S.R. 316.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order namely:—

That Shri Justice Kochupillai Sukumaran, Judge of the Bombay High Court, who has been transferred from the Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem for the period of his service as a Judge of the Bombay High Court.

[No. K. 13014/14/90-Desk-I]

SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

		(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three/five years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640–2900/Rs. 1600–2600 or equivalent; or (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400–2300/2600 or equivalent; and (b) (i) possessing a Bachelor's degree of a recognised University or equivalent. (ii) possessing 5 years' experience in development of handicrafts preferably in Cane and Bamboo Craft/Small Scale Industries. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for cnsideration) for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).
13.	If a DPC exists, what is its composition	Group 'B' D.P.C. for promotion/confirmation consisting of:— 1. Development Commissioner (Handicrafts)—Chairman. 2. Joint Development Commissioner(Admn.)—Member. 3. Joint Development Commissioner (dealing with the subject).—Member. 4. Joint Development Commissioner (Handloom)—Member.
14.	Circumstances in which, U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the UPSC necessary while selection an officer for appointment on transfer on deputation.

[F.No. 8/1/86-Admn.-I]

G. SUDHIR, Jt. Development Commissioner (Handicrafts.)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में प्रधानलिपिक, लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी के पद से संबंधित क्रम सं. 64 के सामने:—

(क) स्तम्भ 5 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा ; अर्थात्:—

"20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पण:—ऐसे जोन में जहां प्रधानलिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी के पद पर नियुक्ति के लिए 1979, 1981, 1982 और 1983 में हुई सीमित विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी अब तक उपलब्ध हैं वहां 20 प्रतिशत सीधी भर्ती" द्वारा और 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा वाले उपबंध का आस्थगन ऐसे समय तक रखा जाएगा जब तक कि अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के पैनल के अन्तिम अभ्यर्थी को जिन्होंने विभागीय परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी के पद पर आमेलित नहीं कर लिया जाता। ऐसे जोन में 50 प्रतिशत रिक्तियों का उपयोग उक्त सीमित विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के आमेलन के लिए किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी",

(ख) स्तम्भ 6 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात्:—

"80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा"

[सं. 2/32/88—एस II/बी. (ए)]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी पद के लिए भर्ती नियमों का भूतलक्षी प्रभाव के संशोधन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में श्री एस. हरिकुमार और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य मुकदमा स. ओ. ए. सं. 601/89 के निर्णय तारीख 26 मार्च, 1990 को कार्यान्वित करने के लिए किया गया है। इन पदों के लिए इससे पहले भर्ती पद्धति 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा थी। आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1988 के एक संशोधन द्वारा भर्ती की पद्धति को 20 प्रतिशत सीधी सीधी भर्ती द्वारा और 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा कर बदल दिया गया। चूंकि वर्ष 1979, 1981, 1982 और 1983 में हुई सीमित विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त अनेक अभ्यर्थी ऐसे थे जो रिक्तियों के अभाव में प्रोन्नत नहीं किए जा सके। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक उपबंध किया गया ताकि उस जोन में जहां अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी अभी तक उपलब्ध हैं पुनरीक्षित 20 प्रतिशत सीधी भर्ती पद्धति केवल तभी प्रवृत्त होगी, जब कि उन पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के पैनल के अन्तिम अभ्यर्थी को उस विशिष्ट जोन में पद पर आमेलित कर लिया जाता है।

उक्त भर्ती नियमों का और संशोधन तारीख 13 फरवरी, 1990 की अधिसूचना द्वारा किया गया उसमें उपरोक्त उपबंध के साथ साथ यह जोड़ा गया कि ऐसे क्षेत्रों में, सीधी भर्ती के अधीन 20 प्रतिशत कोटा का उपयोग ऐसे विभागीय परीक्षा अर्हताप्राप्त व्यक्तियों से भरने के लिए तब तक किया जाएगा जब तक कि उन्हें पूरी तरह आमेलित नहीं कर लिया जाता और यदि विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त व्यक्ति अपने ऐसे जोन से बाहर जहां विभागीय परीक्षा अर्हता प्राप्त ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तैनात किए जाने का विकल्प देता है तो उस जोन में उपलब्ध 20 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों का उपयोग भी इस प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।

2. आवेदन कर्ताओं ने भर्ती नियम के प्रवर्तन को चुनौती दी थी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ ने अपने निर्णय में यह निदेश दिया था कि आवेदकों पर पुनरीक्षण पूर्व नियमों के अनुसार तब तक विचार और प्रोन्नत किया जाए जब तक कि ऐसे अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के पैनल से जो विभागीय परीक्षा अर्हता प्राप्त है अंतिम व्यक्ति आमेलित नहीं कर लिया जाता ।

3. तदनुसार विद्यमान नियमों का संशोधन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास पीठ के उपरोक्त निदेश को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है । अतः इन नियमों का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करना आवश्यक है ।

मूल नियम : आकाशवाणी (समूह सी पद) भर्ती नियम 1964, सा.का.नि. सं 1736 तारीख 30-11-1964 को प्रकाशित किए गये थे और पश्चात्‌वर्ती संशोधन निम्नलिखित रूप में किया गया था:—

1. अधिसूचना स. 11/5/64—बी (ए), तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना सं. 5/2/67-बी (ए), तारीख 20-3-1967
3. अधिसूचना संख्या 7/2/88-बी (ए), तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना स. 7/8/68-बी (ए), तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना स. 20/8/67-बी (ए), तारीख 24-2-1970
6. अधिसूचना स. 16/20/69-बी (ए), तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना स. 1/7/70-बी (ए), तारीख 18-3-1971
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए), तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना स. 1/8/71-बी (ए), तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना स. 1/11/71-बी (ए), तारीख 5-5-1970
11. अधिसूचना स. 1/4/72बी (ए), तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना स. 1/7/71-बी (ए), तारीख 14-11-1972
13. अधिसूचना स. 1/6/73-बी (ए), तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना स. 1/11/73-बी (ए), तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना स. 1/5/73-बी (ए) तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना स. 1/7/70-बी (ए), तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना स. 1/7/79-बी (ए), तारीख 8-8-1974
18. अधिसूचना सं. 9/5/73-बी (ए) तारीख 25-8-1974
19. अधिसूचना स. 1/3/74-बी (ए) तारीख 21-5-1976
20. अधिसूचना सं. 12019/10/79-बी (ए) तारीख 26-12-1978
21. अधिसूचना स. 12019/1/78-बी (ए) तारीख 17 12-1980
22. अधिसूचना स. 12019/8/80-बी (ए) तारीख 27-4-1981
23. अधिसूचना स. 12019/8/81-बी (ए) तारीख 17-5-82
24. अधिसूचना सं. 12019/4/81-बी (ए) तारीख 11-4-83
25. अधिसूचना स. 45011/83/82-बी (ए) तारीख 29-10-83
26. अधिसूचना स. 7/19/83-ए आर बी (ए) तारीख 3-7-84
27. अधिसूचना सं. 3/25/83-सी आर सी आर एस-II आकाशवाणी बी (ए) तारीख 2-6-1987
28. अधिसूचना स. 7/5/86-ए आर आक. बी (ए) तारीख 10-9-1987
29. अधिसूचना स. 7/13/86-ए आर बी (ए) तारीख 10-11-1987
30. अधिसूचना स. 8/36/87-एस-II (ए) तारीख 30-12-1987
31. अधिसूचना स. 14/19/85 बी (ए) तारीख 27-4-1988
32. अधिसूचना स. 2/7/83-सी आर सी आर एस II एस-8 बी (ए) तारीख 23-5-88
33. अधिसूचना स. 8/38/87-एस. II बी (ए) ता. 21-6-88
34. अधिसूचना स. 8/38/87-एस-II बी (ए) तारीख 22-6-89
35. अधिसूचना स. 2/32/88-एस-II बी (ए) तारीख 13-2-1990

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

Delhi, the 3rd May, 1991

G.S.R. 328.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964.

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 23rd May, 1988.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 64 relating to the post of Head Clerk/Accountant/Senior Store Keeper :

(a) in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"20% by direct recruitment."

NOTE:—In such zones where qualified candidates on the basis of result of the Limited Departmental Examinations held in the year 1979, 1981, 1982 and 1983 for appointment to the post of Head Clerk/Accountant/Senior Store Keeper are still available, the provision for 20% by direct recruitment and 80% by promotion will be kept in ebeyance till such time the last candiadte on the panel of qualified candidates, who have qualified for the departmental examination has been absorbed to the post of Head Clerk/Accountant/Senior Store Keeper. In such Zones, 50% of the vacancies shall be utilised for absorption of qualified candidates, for the said Limited Departmental Examination and balance 50% of the vacancies shall be filled by promoion";

(b) in column 6, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—
"80% by promotion."

[No. 2/32/88-SII/B(A)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The amendment of recruitmnet rules for the post of Head Clerk/Accountant/Senior Store Keeper with retrospective effect is for implementation of the judgement dated 26th March, 1990 of the Central Administrative Tribunal in case O.A. No. 601/89 Shri S. Harikumar and others versus Union of India and others. The earlier method of recruitment to these posts was 50% by promotion and 50% by Limited Departmental Examination. By an amendment—the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1988 the method of recruitment was changed to 20% by direct recruitment and 80% by proomtion. Since there were a number of candidates who had qualified the Limited Departmental Examination held in the year 1979. 1981, 1982 and 1983 but could not be promoted so far due to lack of vacancies, a provision was made for them so that the revised 20% direct recruitment method in those zones where qualified candidates are still aavilable, shall come into force only after the last candidate on the panel of qualified candidates by the Limited Departmental Examination for appointment to these posts has been absorbed in the post in the particular zone. The said recruitment rules were further amended vide notificaiton dated 13th February, 1990 in which alongwith above provision it was added that in such zones, the 20% quota under direct recruitment shall be utilised for accommodating such departmental exa-

mination qualified persons till hey are fully absorbed and if qualified in departmental examination opt for posting outside their zones, where no such departmental examination qualified candidate is aavilable, 20% direct recruitment quota vacancies available in these zones shall also be utilised for this purpose.

2. The applicants had challenged the operation of the recruitment rules. The Central Administrative Tribunal, Madras Bench in its judgement has directed to consider and promote the applicants as per the pre-revised rules till the last candidate in the panel of qualified candidates, who have qualified the departmental examination has been absorbed.

3. Accordingly, the present amendment of these rules is to implement the above direction of the Central Adminisrative Tribunal, Madras Bench. So it is necessary to amend these rules by giving retrospective effect.

NOTE : Principal rules the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1964. were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments have been notified :—

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. Notification No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
18. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 25-8-1974
19. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
20. Notification No. 12019/10/79-B(A), dt. 26-12-1978
21. Notification No. 12019/1/78-B(A) dt. 17-12-1980
22. Notification No. 12019/8/80-B(A), dt. 27-4-1981
23. Notification No. 12019/8/81-B(A), dt. 17-5-1982
24. Notification No. 12019/4/81-B(A), dt. 11-4-1983
25. Notification No. 45011/83/82-B(A), dt. 29-10-1983
26. Notification No. 7/19/83/AR/B(A) dt. 3-7-1984
27. Notification No. 3/25/83-CRCR/SII/AIR/B(A), dated 2-6-1-1987
28. Notification No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dt. 10-9-1987
29. Notification No. 7/13/86-AR/B(A), dt. 10-11-1987
30. Notification No. 8/36/87-SII/B(A), dt. 30-12-1987
31. Notification No. 14/19/85-SII/B(A), dt. 27-4-1988
32. Notification No. 2/7/83-CRCR/SII/SVIII/B(A), dated 23-5-1988
33. Notification No. 8/38/87-SII/B(A), dt. 21-6-1988
34. Notification No. 8/38/87-SII/B(A), dt. 22-6-1989
35. Notification No. 2/32/88-SII/B(A), dt. 13-2-1990.

जल संसाधान मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1991

सा.का.नि. 329 :--सा.का.नि.सं. 96 के तहत भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में दिनांक 9 फरवरी, 1991 को प्रकाशित जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं के संबंध में कालम 8 की क्रम सं. (i) पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

अनिवार्य

"(I) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग-II (लाइसेंसिएट अर्हताओं को छोड़कर) में शामिल मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक अर्हताएं धारण करने वालों का भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के खण्ड-13 के उपखण्ड (3) में निर्धारित शर्तों का भी पूरा करना चाहिए।"

कालम संख्या-8 में बाद की प्रविष्टियां वही रहेंगी।

शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कालम 8 की प्रविष्टियां भी उपशीर्ष "अनिवार्य" के अन्तर्गत आनी चाहिए तथा इसे निम्नवत् पढ़ा जाएगा :—

अनिवार्य

"(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग-II (लाइसेंसिएट अर्हताओं को छोड़कर) में शामिल मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल शैक्षिक अर्हताएं धारण करने वालों का भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के खण्ड-13 के उपखण्ड (3) में निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।"

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष।

(iii) किसी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संगठन में पर्यवेक्षीय पद स्थिति में 3 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के लिए) तथा 5 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के लिए)।

टिप्पण:—1. किसी अन्य प्रकार से उम्मीदवारों के सुयोग्य पाए जाने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पण:—2. यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से प्राप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की संभावना हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

[सं. 6/14/87-सं.बे.फ.ब. परि.]

उमा गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th April, 1991

G.S.R. 329.—*In the Notification of the Ministry of Water* Resources published in the Gazette of India, under G.S.R. No. 96 in Part II, Section 3. Sub-Section (i) dated 9th February, 1991 the entry at S. No. (i) of Column 8 relating to educational and other qualifications required for direct recruits for the post of Gynaecologist may be substituted with the following :

Essential

"(i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule of Part II of the Third Schedule (other than Licentiate qualifications) to the